

राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

क्रमांक : एफ 8 ( ) आ.प्र. एवं सहा./आ.प्र./2020/

4335-4/दिनांक : 03/04/2020

अधिसूचना

कोरोना वायरस (Covid-19) को महामारी घोषित किये जाने की स्थिति को देखते हुए जनहित एवं मानव जीवन की सुरक्षा की दृष्टि से भारत सरकार के Disaster Management Act, 2005 के अनुच्छेद 24 (एल) व Rajasthan Epidemic Disease Act 1957 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार अधिसूचना जारी की जाती हैं-

1. भारत सरकार व राज्य सरकार/जिला एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा कोरोना महामारी से बचाव हेतु उठाये कदमों के तहत यदि चिकित्सा जांच में कोई नागरिक कोरोना (कोविड-19) से संक्रमित है/पाया जाता है/लक्षण दिखाई देते हैं, तो ऐसा व्यक्ति चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार 14 दिवस तक क्वारेनटाइन के रूप में निर्धारित स्थान पर रहेगा तथा इस सम्बंध में जारी समस्त दिशानिर्देशों की पालना सुनिश्चित करेगा।
2. निर्दिष्ट क्वारेनटाइन व्यक्ति स्वयं के मोबाईल पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा इस सम्बंध में निर्धारित मोबाईल-एप (RajCovidinfo App) डाउनलोड कर प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक प्रति 2 घंटे में सेल्फी मोबाईल-एप पर अपलोड करेगा एवं ई-मेल [rajcovid19info@rajasthan.gov.in](mailto:rajcovid19info@rajasthan.gov.in) पर सूचित करेगा। यदि किसी के पास App एवं ई-मेल की सुविधा नहीं है तो ऐसे व्यक्ति की लोकेशन टेलिकॉम कम्पनी की सहायता से ट्रेस की जावेगी। इस हेतु सम्बंधित क्वारेनटाइन व्यक्ति द्वारा पुलिस/चिकित्सा विभाग के प्रतिनिधि को मोबाईल नम्बर उपलब्ध करवाने अनिवार्य होंगे, जिससे प्रशासन द्वारा उसकी लोकेशन ट्रेस की जा सके।
3. निर्दिष्ट क्वारेनटाइन व्यक्ति की मोनिटरिंग संबंधित क्षेत्र के निर्धारित पुलिस/चिकित्सा विभाग द्वारा की जायेगी। यदि संबंधित क्वारेनटाइन व्यक्ति निर्धारित स्थान को छोड़ता है, तो उसके परिवार वाले निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत पुलिस/चिकित्सा विभाग को सूचित करने के लिये उत्तरदायी होंगे।
4. यदि कोई भी नागरिक जो जांच में कोरोना (कोविड-19) से संक्रमित है/पाया गया है/लक्षण पाये गये हैं, द्वारा यदि सरकार के इस सम्बंध में समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों/हिदायतों/आदेशों की अवहेलना करता है/की जाती है तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड-संहिता की धारा 188 व Disaster Management Act, 2005 के अध्याय X के सेक्शन 51-60 में वर्णित प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।



(डी. बी. गुप्ता)

मुख्य सचिव

एवं

अध्यक्ष, राज्य कार्यकारी समिति